न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना

(जिला शस्त्र शाखा)

—: आदेश :—

11-04-2013

विविध शस्त्र दुकान अनुज्ञप्ति वाद संख्या–18–01/2008 में आवेदक **सैयद मुमताज अहसन,** पिता–सैयद रियाज अहसन, सा0–अहसन मंजिल, सलेमपुर, वार्ड नं0–9, थाना–बाढ़, जिला–पटना से प्राप्त एक आग्नेयास्त्र दुकान अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र (प्रपत्र–XIII एवं XIV) पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे एक बेरोजगार एवं स्नातक उत्तीर्ण युवक हैं तथा आग्नेयास्त्र दुकान खोलने हेतु अनुज्ञप्ति चाहते हैं।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–1141/गो0, दिनांक–25.09.2012 का अवलोकन किया गया। आवेदक के शस्त्र दुकान अनुज्ञप्ति आवेदन को अधीनस्थ पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी एवं थानाध्यक्ष, बाढ़ द्वारा शस्त्र दुकान अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। थानाध्यक्ष–बाढ़ द्वारा प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक के विरूद्ध थाना अभिलेख में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, आग्नेयास्त्र दुकान हेतु अनुज्ञप्ति दिये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक **सैयद मुमताज अहसन** को एक आग्नेयास्त्र दुकान अनुज्ञप्ति की आवश्यकता है।

सरकार के सचिव, राजनीतिक (आरक्षी) विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक–1405, दि0–01.02.1964 द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **सैयद मुमताज अहसन,** पिता–सैयद रियाज अहसन, सा0–अहसन मंजिल, सलेमपुर, वार्ड नं0–9, थाना–बाढ़, जिला–पटना को एक आग्नेयास्त्र प्रतिष्ठान हेतु अहसन मंजिल, होल्डिंग नं0–174/172/48, (नगर परिषद्, बाढ), थाना–बाढ़, जिला–पटना में प्रपत्र–XIII एवं XIV में अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

(8)

(7)

श्री अहसन को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का चार (04) चार अभिप्रमाणित फोटो एवं दो सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेगें।

लेखापित एवं संशोधित।

Narayana Kumar 11/5/19
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

Narayana Kumar 11/5/19
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।